



2026:AHC:57386

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रकरण संख्या - 3379 वर्ष 2026

संजय कुमार गौड़

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: देवेश कुमार शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. वाद सूची को द्वितीय बार पुकारा गया।

2. श्री कपिल द्विवेदी, अधिवक्ता, जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश कुमार शुक्ला, के स्थान पर उपस्थित हुए, तथा राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-। श्री अजय सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"अतः सादर प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया इस याचिका को स्वीकार करते हुए दिनांक 29.7.2025 को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक- 04, गाजियाबाद द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 299 वर्ष 2023, संजय कुमार गौड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आक्षेपित आदेश तथा दिनांक 15.03.2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा विविध प्रकरण संख्या-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4699 वर्ष 2022, संजय कुमार गौड़ बनाम श्रीमती नीलम एलीचर एवं अन्य, पुलिस थाना-इंद्रापुरम, गाजियाबाद में पारित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 से 5 के विरुद्ध दाखिल धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को परिवाद प्रकरण के रूप में मान्यता दी गई, को अपास्त करें, जिससे न्याय हो सके अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। और/या अन्य ऐसा उचित आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित समझे।"

4. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि दिनांक 14.10.2022 को याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या- 2 से 5, यथा श्रीमती नीलम एलीचर, कैमवेल वाल्टर, विकास शर्मा एवं श्याम सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के साथ आवेदन दाखिल किया गया था:-

(क) नीलम एलीचर और कैमवेल वाल्टर बहन और भाई हैं। नीलम स्विट्जरलैंड में रहती हैं। वर्ष 2006 में वे परिवादी की संपत्ति के प्रथम तल जो सी-4, सेक्टर 16 बी, वसुंधरा, गाजियाबाद में स्थित है, को देखने आए और उसे पसंद करके उसकी खरीद के लिए उनसे संपर्क किया।

(ख) दिनांक 04.04.2006 को उन्होंने श्रीमती नीलम एलीचर के पक्ष में एक विक्रय-पत्र निष्पादित किया। इसके पश्चात् श्रीमती नीलम एलीचर ने अपने भाई कैमवेल वॉल्टर को अपना अभिकर्ता नियुक्त किया, जिसके लिए कैमवेल वॉल्टर ने चौथे उप-रजिस्ट्रार, गाजियाबाद के समक्ष हस्ताक्षर किए। विक्रय-पत्र के कागजात कैमवेल वॉल्टर, नीलम एलीचर, विकास शर्मा, श्याम सिंह तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए थे, क्योंकि विकास शर्मा ने उन्हें इन व्यक्तियों से परिचित कराया था। विकास शर्मा संपत्ति से संबंधित कार्य करता है। स्टाम्प पेपर, पंजीकरण आदि का खर्च श्रीमती नीलम एलीचर तथा कैमवेल वॉल्टर द्वारा वहन किया गया था। विक्रय-पत्र के पृष्ठ संख्या 31 पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण से संबंधित चेक का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त लेन-देन स्वच्छ एवं निष्कलंक था। विक्रय-पत्र के निष्पादन के दिन, अर्थात् दिनांक 04.04.2006 को, संपत्ति का भौतिक कब्जा उन्हें सौंप दिया गया था, जो आज तक उनके पास बना हुआ है।

(ग) कैमवेल वाल्टर ने प्रकरण अपराध संख्या- 72 वर्ष 2021, पुलिस थाना इंद्रापुरम, जिला गाजियाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें परिवादी, उनकी पत्नी एवं पुत्र को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें जांच के पश्चात आरोपों को असत्य पाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(घ) कैमवेल वाल्टर ने उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि सूचनादाता एवं उसके बीच संपत्ति के प्रथम तल के संबंध में मौखिक करार हुआ था जबकि ऐसा कोई मौखिक करार नहीं हुआ था और विक्रय-पत्र द्वितीय तल के लिए निष्पादित किया गया था।

(ङ) बाद में खोज करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि श्रीमती नीलम एलीचर एवं कैमवेल वाल्टर के विरुद्ध आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ में एक वाद संस्थित किया गया है जिसमें यह पाया गया कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.2.2006 का एक जाली बिक्री-अनुबंध दाखिल किया गया है जिस पर उनके हस्ताक्षर जाली हैं। समस्त जालसाजी अभियुक्तों द्वारा की गई। चूंकि नीलम एलीचर स्विट्जरलैंड में रहती थीं एवं वहाँ की नागरिक थीं, उन्होंने दिनांक 14.06.2017 को अपने भाई कैमवेल वाल्टर के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया जिसके द्वारा संपत्ति के द्वितीय तल के समस्त अधिकार उसे प्रदान किए गए।

(च) बाद में नीलम एलीचर ने दिनांक 28.10.2019 को अपने भाई के पक्ष में संपत्ति के प्रथम तल के लिए एक अन्य मुख्तारनामा निष्पादित किया जिससे उसे उसके समस्त अधिकार प्रदान किए गए। जब सूचना का अधिकार के माध्यम से एक अधिवक्ता द्वारा उप-पंजीयक के कार्यालय से दोनों मुख्तारनामों की प्रामाणिकता की पुष्टि की गई तो उत्तर मिला कि वे पंजीकृत नहीं हैं। दोनों व्यक्ति अपनी सुविधानुसार कभी प्रथम तल तो कभी द्वितीय तल के कागजात तैयार करते थे और मुख्तारनामे का दुरुपयोग करते थे।

(छ) अभियुक्तों ने दिनांक 26.2.2006 का एक जाली बिक्री-अनुबंध तैयार किया जिसमें विकास शर्मा एवं श्याम सिंह को साक्षी के रूप में दर्शाया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर जाली हैं तथा उक्त जाली बिक्री-अनुबंध के आधार पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से ऋण प्राप्त किया गया। उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है।

(ज) उन्होंने दिनांक 21.09.2022 को स्पीड पोस्ट से उच्चाधिकारियों से संपर्क किया परंतु कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें अपनी जान का खतरा है। उनके पास धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। आवेदन स्वीकार किया जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच के आदेश दिए जाएं।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उक्त आवेदन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के न्यायालय द्वारा विचार किया गया तथा दिनांक 15.3.2023 के आदेश से उसे परिवाद प्रकरण के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया एवं धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवादी का बयान दर्ज करने हेतु तिथि नियत की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर परिवादी/इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया जो दिनांक 29.7.2025 को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक-4, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से खारिज हो गया। तत्पश्चात दोनों आदेशों से असंतुष्ट होकर वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है।

6. प्रारंभ में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि श्याम सिंह को वर्तमान याचिका में प्रतिवादी संख्या-5 के रूप में सम्मिलित किया गया है क्योंकि उसे धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन में अभियुक्त क्रमांक- 4 के रूप में सम्मिलित किया गया था, परंतु उक्त व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है जैसा कि पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पैरा 6 से स्पष्ट होता है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में परिवादी है। यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित न्यायालय का यह दायित्व था कि वह प्रतिवादी संख्या- 2 से 5 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु संबंधित पुलिस को निर्देश देता ताकि जांच हो सके, परंतु मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना उसने उसे परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन में समस्त आरोपों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि अपराध का प्रकटन होता है तथा मामले में जांच आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त तथ्य पर संबंधित न्यायालय द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया और उसने उसे परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया जो अवैधानिक है। यह निवेदन किया जाता है कि पुनरीक्षण न्यायालय भी उक्त तथ्य को समझने में विफल रहा और आरोपों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझे बिना ही पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया। यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान याचिका और की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिका एवं प्रार्थनाओं का विरोध किया।

9. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि परिवादी/याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में मान्यता दी गई है एवं यह आदेश दिया गया है कि वह जांच के लिए उपस्थित हो। परिवादी असंतुष्ट होकर संबंधित पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया जो खारिज हो गया। तत्पश्चात दोनों न्यायालयों से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

10. वर्तमान प्रकरण में विवाद पूर्णतः दस्तावेजी प्रकृति का है। संबंधित दस्तावेज दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं, जैसा कि उसमें वर्णित अनुच्छेदों के अवलोकन से स्पष्ट होता है। संबंधित विचारण न्यायालय प्रकरण का समग्र दृष्टिकोण से परीक्षण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में समस्त दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अतः न्यायालय ने यह अभिलक्षित किया कि वर्तमान विवाद पक्षकारों के मध्य संपत्ति के क्रय-विक्रय तथा विक्रय अनुबंध से संबंधित है। मामला दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है, अतः जांच से कोई नया तथ्य सामने नहीं आएगा। इस प्रकार उसने उक्त आवेदन को परिवाद प्रकरण के रूप में पंजीकृत करने की कार्रवाई की। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित एवं सही है तथा उसमें किसी अनियमितता या अवैधानिकता का अभाव है। मामला दस्तावेजों में जालसाजी के आरोप से संबंधित है। उक्त दस्तावेज संबंधित न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं। यहाँ तक कि पुनरीक्षण न्यायालय ने भी एक विस्तृत आदेश द्वारा उक्त पुनरीक्षण खारिज किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा भी कोई अनियमितता या अवैधानिकता की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित एवं सही दृष्टिकोण है, अतः इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं है।

11. तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

12. यदि कोई लंबित आवेदन है तो वह भी निस्तारित समझा जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

18 मार्च, 2026

नरेश

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।